न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ

पीठासीन अधिकारीः अशोक सांगवा RAS

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्याः– 164/2024 (खाद्य पदार्थ नमुना संख्या के–2211)

राजस्थान सरकार जरिये हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्थास्थ्य अधिकारी श्रीगंगागनगर –प्रार्थी

बनाम

1. आशीष कटारिया पुत्र श्री चिमनलाल (विक्रेता), मैसर्स आशीष कूल कैफे, वार्ड नं. 35 (नया), पुराना बस स्टैण्ड के पास, अनूपगढ, जिला अनूपगढ।
2. चिमनलाल पुत्र देशराज कटारिया (मालिक), मैसर्स आशीष कूल कैफे, वार्ड नं. 35 (नया), पुराना बस स्टैण्ड के पास अनूपगढ, जिला अनूपगढ।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(II) 51 FSSA Act 2006

दिनांकः– 23/10/2024.

निर्णय

यह इस्तगासा **श्री हेतराम** खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की धारा 51, के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा में वर्णित तथ्य इस प्रकार हैः– यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी **हेतराम** दिनांक **21.03.2024** को समय दोपहर **2:30 बजे** पर निरीक्षणार्थ मैसर्स– **आशीष कूल कैफे, वार्ड नं. 35 (नया), पुराना बस स्टैण्ड के पास, अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़** का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान **श्री आशीष कटारिया पुत्र श्री चिमनलाल (विक्रेता) को** अपना परिचय देकर संस्थान के फ्रीज में स्टील टैंक में रखे खुले पनीर के बारे में जानकारी चाहीं। अप्रार्थी **आशीष कटारिया** ने स्वयं को संस्थान का मालिक बताया तथा संस्थान के फ्रीज में स्टील टैंक में रखे खुले **पनीर** लगभग 18–19 किलों को आमजन में बेचान वास्ते बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध खाद्य पदार्थ **पनीर मे से 01 किलोग्राम** को विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा खाद्य पदार्थ पनीर का नगद भुगतान **280/–** रूपए किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। गवाहान व स्वयं के हस्ताक्षर कर विक्रेता के हस्ताक्षर करवा कर फॉर्म संख्या 5 ए की प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और खरीद प्राप्ती रसीद ली, जो संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे **श्री आशीष कटारिया पुत्र श्री चिमनलाल (विक्रेता)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं **मालिक श्री आशीष कटारिया पुत्र श्री चिमनलाल (विक्रेता)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **पनीर 01 किलोग्राम** को बराबर भागों में बांटकर चार साफ–सुथरे सूखे डिब्बों में ले कर प्रत्येक डिब्बें में परिरक्षक फॉरमेलिन की 20–20 बूंदे डालकर ढक्कन को कसकर बंद किये व 04 डिब्बों पर लेवल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड़ एवं क्रमांक **के–2211** दर्ज किया प्रत्येक लेवल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया गया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं **के–2211** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह सील चपडी किया। प्रत्येक नमुना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों आयें। चारों नमूना भागों के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहांन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर मौके फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होंने पढकर,समझकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैने स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर कियें।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुॅचकर फार्म नं0 6 की छः प्रतिया तैयार की और प्रत्येक पर वह नमुना सील लगाई जिससे नमुना सील किया। एक नमुना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति नमूने के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में बंद कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विशलेषक बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं0 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है! शेष दो सील बंद नमुना भाग मय फॉर्म नं0 6 की दो प्रतियां एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बंद कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी श्रीगंगानगर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner

यह है कि खाद्य विश्लेषक बीकानेर से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डीओ एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पत्र क्रमांक **FSSA/2023/276-77** दिनांक 16.04.2024 के अनुसार खाद्यकारोबारककर्ता एवं मालिक के द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पनीर का नमुना **Sub Standard Food** पाया गया। उक्त प्रकरण से संबधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। खाद्य विश्लेषक बीकानेर की जॉच रिर्पोर्ट न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य विश्लेषक बीकानेर से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक **FSSA/2023/276-77** दिनांक 16.04.2024 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया परंतु नमूना विक्रेता व मालिक ने रेफरल फूड लैब से जांच करवाने का कोई आवेदन नहीं किया है।

यह है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अनुसंधान कार्य संपन्न होने के पश्चात श्रीमान अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को दिनांक 20.06.2024 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश किया। न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने उक्त प्रकरण के समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक **FSSA/2024/579-80** दिनांक 25.06.2024 के द्वारा संस्थित करने हेतु अधिकृत किया।

उक्त प्रकरण में अप्रार्थी **आशीष कटारिया पुत्र श्री चिमनलाल (विक्रेता), मैसर्स आशीष कूल कैफे, वार्ड नं. 35 (नया) पुराना बस स्टैण्ड के पास, अनूपगढ़ जिला अनूपगढ** द्वारा **पनीर Sub-standard Food** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा **51 में निर्धारित है।**

श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण मय अधिवक्ता श्री योगेन्द्र कुमार उपस्थित हुए व अपना जवाब पेश किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव में कथन किया गया है कि बिन्दु संख्या 01 अस्वीकार है, परिवादी का पदस्थापन एवं कार्यक्षेत्र का आवंटन आयुक्त(खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राजस्थान द्वारा जिला अनूपगढ़ के लिए नहीं किया गया। बिन्दु संख्या 02 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 3 अस्वीकार है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने पनीर में से एक किलो पनीर न तो खरीदा और न ही पनीर खरीद का नकद भुगतान किया गया और ना ही आशीष कटारिया ने पनीर विक्रय का कैशमीमों बनाकर दिया। बिन्दु संख्या 04 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 05 अस्वीकार है। बिन्दु सं. 06 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 07 अस्वीकार है। । बिन्दु संख्या 8 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 09 अस्वीकार है। बिन्दु संख्या 10 जिस तरह दर्ज की गयी है, अस्वीकार है। बिन्दु सं. 11 जिस तरह दर्ज की गयी है, अस्वीकार है। बिन्दु सं. 12 अस्वीकार है। खाद्य निरीक्षक द्वारा इस्तगासा में दर्ज सभी आरोपो को निराधार बताया, एवं निवेदन किया कि खाद्य विशलेषक की रिपोर्ट में विश्लेषण रिपोर्ट एफ.एस.एस.ए अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अंकित माप दण्ड अनुसार **पनीर Sub-standard Food** पाया गया है तथा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा हो ऐसा कोई हानिकारक मिश्रण **पनीर** में होना खाद्य विश्लेषक अथवा खाद्य निरीक्षक द्वारा इस्तगासा मे दर्ज नही किया गया है।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाव तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत रिपोर्ट खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर की रिपोर्ट क्रमांक **L.S.310/Act/2024/310** दिनांक 02.04.2024 में **पनीर** एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन करते हुए नमुना के–**2211 Sub-standard Food** पाया गया है। अतः एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा 26(2)(।।) 51 के अन्तर्गत प्रावधान के मध्य नजर गैरसायलफर्म **1. आशीष कटारिया पुत्र श्री चिमनलाल (विक्रेता), मैसर्स आशीष कूल कैफे, वार्ड नं. 35 (नया), पुराना बस स्टैण्ड के पास, अनूपगढ़, जिला अनूपगढ 2. चिमनलाल पुत्र देशराज कटारिया (मालिक), मैसर्स आशीष कूल कैफे, वार्ड नं. 35 (नया), पुराना बस स्टैण्ड के पास, अनूपगढ़, जिला अनूपगढ** को रू 100,000 /– रूपये का आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। निर्णय आज दिनांक 23/10/24 को सुनाया गया।

23/10/24

(अशोक सांगवा)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

अतिरिक्त जिला कलक्टर

अनूपगढ

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़

Scanned with OKEN Scanner